सं0-140/2015/8257/62-2-2015-2/3(17)/2015

सेवा में,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनउ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 06 नवम्बर,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष अनुदान सं0-13 के अधीन रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का क्रय (राज्य सेक्टर) में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-94/ल0सिं0/बजट-3/2015-16, दिनांक 07.4.2015 एवं पत्र सं0-1275/ल0सिं0/बजट-3/2015-16, दिनांक 10.9.2015 व वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस- 2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण् करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का क्रय (राज्य सेक्टर) में प्राविधानित धनराशि रू0-50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व मण्डार क्रय व टेंण्डर प्रक्रिया से संबंधित फाईनेशियल हैण्ड बुक वैल्यूम-5 पार्ट-1 के अनुलग्नक-18 व 19 तथा विभिन्न संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रयाधिकार एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा। आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा उक्त निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तो का अनुसरण/अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में जिला सेक्टर की योजनाओं के अधीन रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का क्रय के व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीक़त की जा रही धनराशि मशीनों/सहायक उपकरणों का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर परचेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जिसका व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जा सके।

(5) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(6) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अवमुक्त धनराशि को यथाशीध्र संबंधित खण्डीय अधिशासी अभियंता को आवंटित करते हुए शासन को भी अवगत कराने का प्रबन्ध करें।

(7) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

(8) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत् बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1-मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2--व्यायाधिक्य तथा बचट का अंतिम विवरण्	15-12-2016 तक
3-वर्ष 2015-16 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2016 तक
4-आवंटन का समर्पण	15-03-2016 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2016 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-भूजल-03-रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का क्रय-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र"** के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के अशासकीय सं0-ई-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहे है।

भवदीय,
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-140/2015/8257(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
6- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।
7- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
11- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12- एन0आई0सी0 की प्रति।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।